सत्यमेव जयते

सप्तदश

बिहार विधान सभा

षष्ठम सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि 09 आषाढ़, 1944 (श०) / 30 जून, 2022 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 137

(1)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	..	..	..	09
(2)	नगर विकास एवं आवास विभाग	..	..	..	53
(3)	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	..	..	..	39
(4)	कृषि विभाग	..	..	..	15
(5)	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	..	..	..	08
(6)	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	..	..	..	09
(7)	सहकारिता विभाग	..	..	..	04
				कुल योग --	137

कचरा डम्पिग की व्यवस्था

*436. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ नगर निगम क्षेत्र के 46 वार्डों से प्रतिदिन 75 टन कचरा निकलता है परंतु कचरा प्रोसेसिंग की व्यवस्था अबतक नहीं होने के कारण नगर निगम द्वारा कचरा को सड़क किनारे डैम्प कर दिया जाता है जिससे महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है, जबकि हासदा में लैंडफिल साइट का चयन किया गया है जिसपर अबतक सॉलिड वेस्ट लिक्विड मैनेजमेंट धरातल पर नहीं उतरी है, यदि हाँ, तो सरकार (जनहित में) पूर्णियाँ नगर निगम क्षेत्र को कचरा मुक्त करने के लिए पूर्णियाँ में चयनित हासदा के लैंडफिल साइट पर शीघ्र सॉलिड वेस्ट लिक्विड मैनेजमेंट की व्यवस्था कर कचरा डम्पिंग उक्त स्थान पर करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*437. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत नगर परिषद्, शेरघाटी के वार्ड नंबर-4, 6 के शुमाली मोहल्ला एवं वार्ड 16 से 20 तक नाला का निर्माण नहीं रहने से घरों का अपशिष्ट जल निकासी सुचारू रूप से नहीं हो रहा है तथा यत्र-तत्र गन्दा जल जमा हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर नाला ढक्कन सहित निर्माण करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना -

*438. श्री राहुल तिवारी (क्षेत्र संख्या-198 शाहपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत बिहिया नगर के बियाडा की जमीन पर बिहिया अंचलाधिकारी से रामजी सिन्हा के नाम से फर्जी एग्रीमेंट पेपर बनवाकर दबंग व्यक्तियों द्वारा लगभग आठ महीने पहले बाउंड्री वॉल करवा दिया गया है, उक्त जमीन का रकबा लगभग 8 बिघा, 6 कट्ठा, खाता संख्या 375 तथा खेसरा नं0-2037, 2078, 2080 है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी अंचलाधिकारी पर कार्रवाई करते हुए बियाडा के जमीन पर जो दबंगों द्वारा बाउन्ड्री वॉल करवा दिया गया है, को तोड़वाकर सामान्य स्थिति कबतक बहाल करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्गत करना

*439. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज (अ0 जा0))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत नवगठित रानीगंज नगर पंचायत के कार्यालय से नागरिकों को जन्म, मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत कराने की सुविधा अबतक उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जिससे स्थानीय नागरिकों को जरूरत पड़ने पर परेशानी हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नवगठित रानीगंज नगर पंचायत में जन्म, मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत करने की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--नगर पंचायत, रानीगंज के पत्रांक 18, दिनांक 17 जून, 2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जिला सांख्यिकी पदाधिकारी-सह-अपर जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) अररिया के पत्रांक 636, दिनांक 17 जून, 2022 द्वारा जन्म, मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत करने की सुविधा प्राप्त है।

उक्त सुविधा के आलोक में नगर पंचायत द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र पर प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा रहा है।

पोखरा का पैमाईश कराना

*440. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला अन्तर्गत अंचल सदर छपरा के मौजा-साढ़ा में राज्य उच्च पथ एस0एच0-90 के सटे पश्चिम में दुधई पोखरा जिसका सर्वे नम्बर 189 एवं 190 एवं चुरही पोखरा जिसका सर्वे नम्बर 1444 है, जिसका अभी तक सरकारी स्तर से पैमाइश नहीं कराये जाने के कारण विकसित नहीं हो पाया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पोखरा का पैमाईश कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*441. मो0 आफाक आलम (क्षेत्र संख्या-58 कसबा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा नगर परिषद् रानीसती चौक से महावीर चौक होते हुए कोसीधार तक सड़क के दोनों तरफ बाड़ा नाला निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में नगर परिषद्, कसबा को पंचम राज्य वित्त आयोग एवं षष्ठम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत एक करोड़ अंठानवे लाख एकतीस हजार पांच सौ चालीस रूपये आवंटित किया गया है, फिर भी नाला का निर्माण कार्य अभीतक शुरू नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नाला का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति करना

*442. श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला अंतर्गत नरपतगंज प्रखंड स्थित अंचल कार्यालय में राजस्व कर्मचारियों की कमी के कारण म्यूटेशन एवं परिमार्जन में व्यापक पैमाने पर किसानों का शोषण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार (जनहित में) उक्त अंचल कार्यालय में राजस्व कर्मचारियों की कमी को दूर करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़कों का संधारण

*443. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा 2021 में ही निर्णय लिया गया है कि नगर निकायों के क्षेत्र में 6 मीटर से चौड़ी सड़कों को जबतक पथ निर्माण विभाग में विधिवत् हस्तांतरित नहीं होता है तबतक उसका संधारण नगर निकायों को ही करना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत जमालपुर नगरपालिका में 6 मीटर से अधिक चौड़ी 17 सड़कें हैं जो 2 वर्षों से नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संधारित नहीं की जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उपर्युक्त सभी 17 सड़कों को संधारण नगर निकायों द्वारा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला बनाना

*444. श्री शम्भु नाथ यादव (क्षेत्र संख्या-199 ब्रहमपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के ब्रह्मपुर प्रखंड अन्तर्गत नगर पंचायत ब्रह्मपुर बाजार में नाला नहीं होने के कारण पानी सड़क पर जमा होता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार नगर पंचायत ब्रह्मपुर में नाला बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*445. सुश्री श्रेयसी सिंह (क्षेत्र संख्या-241 जमुई)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई नगर क्षेत्र के हांसडीह मोहल्ले में लगभग 12 एकड़ अहरा किस्म की गैर-मजरुआ जमीन उपलब्ध है, जिसे आस-पड़ोस के लोग खेती के लिए जोतकर और कहीं-कहीं घेराबंदी कर तेजी से अतिक्रमण कर रहे हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार जमुई नगर स्थित हांसडीह मोहल्ले में उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि उपलब्ध कराना

*446. श्री दिलीप राय (क्षेत्र संख्या-26 सुरसंड)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सुरसंड नगर पंचायत में वर्ष 2019-20 में प्रधानमंत्री आवास योजना की द्वितीय किस्त की राशि अभीतक लोगों को नहीं मिल पाया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त योजना की द्वितीय किस्त लोगों को उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पानी सप्लाई कराना

*447. श्री श्रीकान्त यादव (क्षेत्र संख्या-113 एकमा)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत एकमा बाजार नगर पंचायत में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की पानी टंकी अवस्थित है जिसमें से पानी की सप्लाई बहुत दिनों से बंद है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पानी टंकी से कबतक पानी की सप्लाई कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*448. श्री अमरजीत कुशवाहा (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेई)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत नगर पंचायत, मैरवा में मच्छर मारने के लिये किंग फॉग केमिकल की खरीद वर्ष 2020 में तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा किया गया था, जिसकी कीमत बाजार में छः सौ तीस रुपये प्रति लीटर थी, किन्तु इन्टरप्राईजेज कम्पनी को एक्कीस सौ साठ रुपये प्रति लीटर की दर से भुगतान किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बहाली करना

*449. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला अन्तर्गत अंचल कार्यालय, बहादुरगंज में सेवानिवृत्त सी०आई० को एक वर्ष के लिये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाल किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अंचल में स्थायी सी०आई० बहाल करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रतिनियुक्त करना

*450. डॉ० निक्की हेम्ब्रम (क्षेत्र संख्या-162 कटोरिया (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि बांका जिला अन्तर्गत कटोरिया विधान सभा क्षेत्र में बौंसी एवं कटोरिया प्रखंडों में नगर पंचायत को लेकर 31 पंचायत है, जिसमें मात्र 06 राजस्व कर्मचारी कार्यरत हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि राजस्व कर्मचारी के अभाव में राजस्व संबंधित कार्यों का निष्पादन करने में असुविधा होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त विधान सभा के दोनों प्रखंडों में राजस्व कर्मचारी का प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शिविर लगाना

*451. श्री छोटे लाल राय (क्षेत्र संख्या-121 परसा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत दरियापुर अंचल में 22 पंचायत एवं एक नगर पंचायत में सिर्फ 4 हल्का कर्मचारी ही पदस्थापित हैं, जिसमें एक कर्मचारी सी०आई० के प्रभार में हैं, जिससे आमलोगों को दाखिल-खारिज कराने एवं मालगुजारी आदि जमा कराने में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर दाखिल-खारिज एवं अन्य कार्य कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*452. डॉक्टर संजीव कुमार (क्षेत्र संख्या-151 परबत्ता)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला के परबत्ता नगर पंचायत में मानसून के समय परबत्ता थाना से टेम्पो स्टैंड होते हुये मोजाहिदपुर, बंजरगबली स्थान तक सड़क के दोनों तरफ नाला नहीं रहने से पूरा परबत्ता बाजार जलमग्न हो जाता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान के सड़क के दोनों किनारे नाला का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*453. श्री चन्द्रहास चौपाल (क्षेत्र संख्या-72 सिंहेश्वर (अ०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर नगर पंचायत क्षेत्र के सिंहेश्वर बाजार में जयकृष्ण यादव के घर से बजरंग मेडिकल होते हुये त्रिशुल चौक तक बड़ी नाला का निर्माण नहीं होने से सड़क पर पानी जम जाता है जिससे आमलोगों को आवागमन में परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थान पर नाला का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थापित करना

*454. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत केसरिया और कल्याणपुर प्रखंड में इफको बाजार/खाद बाजार तथा थोक बिक्रेता नहीं रहने के कारण किसानों को रक्सौल से खाद लाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक केसरिया और कल्याणपुर में इफकी बाजार/खाद बाजार स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक शौचालय बनवाना

*455. श्री छोटे लाल राय (क्षेत्र संख्या-121 परसा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिले के नगर पंचायत, परसा बाजार में बहुत भीड़ रहती है, परंतु बाजार में एक भी शौचालय नहीं रहने के कारण महिलाओं को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार परसा बाजार में एक सामुदायिक शौचालय बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक । कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, परसा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नगर पंचायत, परसा बाजार में दिन के समय नगरवासियों एवं नगर के आस-पास का ग्रामीणों का बाजार में भीड़ होता है, कार्यालय नगर पंचायत, परसा बाजार के द्वारा सामुदायिक शौचालय का निर्माण दरोगा राय चौक के एस० एच० 73 के बगल में टेम्पु स्टैंड के पास एवं हाई स्कूल, परसा (मंटु सिंह मार्केट के पीछे) के पास एक-एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है एवं चौक-चौराहे पर युरिनल का भी अधिष्ठापन निर्माण किया गया है ।

निर्माण कराना

*456. श्री रणविजय साहु (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखंड अन्तर्गत ताजपुर को वर्ष 2021 में ही नगर परिषद् का दर्जा दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त नगर परिषद् के अधीन 27 वार्ड सम्मिलित है, जिसमें वार्ड नं० 11 में नाला निर्माण नहीं रहने के कारण बरसात के दिनों में जल-जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है जबकि स्थानीय स्तर पर प्रश्नकर्ता द्वारा सारी जानकारी विभाग को दे दिया गया है फिर भी विभागीय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त वार्ड में नाला निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन करना

*457. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत केसरिया अंचल में कोई भी राजस्व कर्मचारी पदस्थापित नहीं रहने के कारण निचले स्तर पर राजस्व संबंधी कार्य बाधित हैं, यदि हाँ, तो सरकार केसरिया अंचल में स्वीकृत पद के अनुरूप राजस्व कर्मचारी का पदस्थापन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

संविदा पर नियुक्ति करना

*458. डॉ० रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 2401, दिनांक 18 जुलाई, 2007 द्वारा 94 अमीनों को संविदा पर नियुक्त किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम का अवधि विस्तार दिनांक 1 अप्रील, 2022 से 31 मार्च, 2024 तक किया गया है उक्त कार्यक्रम के सम्पादन हेतु संविदा पर नियुक्त 94 अमीनों को शामिल नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम में संविदा पर नियुक्त 94 अमीनों को शामिल कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जल निकासी करना

*459. श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी (क्षेत्र संख्या-200 बक्सर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के नवसृजित बक्सर नगर परिषद क्षेत्र, बक्सर अंतर्गत पांडेयपट्टी (वार्ड नंबर 10 एवं 11) अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अत्यधिक जल-जमाव एवं जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण प्राय: पांडेयपट्टी की सड़कों पर पानी लगा रहता है, जिससे आवागमन बाधित रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पांडेयपट्टी के जल निकासी हेतु समुचित व्यवस्था करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापित करना

*460. श्रीमती गायत्री देवी (क्षेत्र संख्या-25 परिहार)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के परिहार एवं सोनबरसा प्रखंड में एम०ओ० का पद खाली है तथा दूसरे प्रखंडों के एम०ओ० को प्रभार देकर काम चलाया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि परिहार प्रखंड में 27 पंचायत एवं सोनबरसा प्रखंड में 20 पंचायत है एवं इतने बड़े प्रखंड के एम०ओ० नहीं रहने के कारण कठिनाइयाँ होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सीतामढ़ी जिले के परिहार एवं सोनबरसा प्रखंड में एम०ओ० को पदस्थापित करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापित करना

*461. श्रीमती गायत्री देवी (क्षेत्र संख्या-25 परिहार)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा अंचल में 20 पंचायत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सितम्बर, 2021 से अंचल पदाधिकारी का पद रिक्त है तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी प्रभारी अंचलाधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा अंचल में अंचलाधिकारी को पदस्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़कों का जीर्णोद्धार कराना

*462. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र के सड़कों को विगत 2 वर्षों से बुडको कम्पनी के द्वारा खुदाई करके छोड़ दिया गया है, जिससे बेगूसराय शहरवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र के सड़कों का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बोरिंग को दुरूस्त करना

*463. सुश्री श्रेयसी सिंह (क्षेत्र संख्या-241 जमुई)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत खैरा प्रखंड के झुंडो पंचायत के वार्ड संख्या 14 के मांगोचपरी ग्राम में नल-जल योजना हेतु की गई बोरिंग मात्र 35 फीट गहरी है जिसके कारण प्रत्येक वर्ष गर्मी के मौसम के कम-से-कम 4 माह बोरिंग विफल रहता है तथा लोगों को पेयजल संकट से गुजरना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वार्ड में नल-जल योजना की बोरिंग को दुरूस्त कर और गहरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि जमुई विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत खैरा प्रखंड के झुंडो पंचायत के वार्ड संख्या 14 के मांगोचपरी ग्राम में नल-जल योजना हेतु पूर्व में भी दो DT बोरिंग क्रमशः 500 फीट एवं 300 फीट कराया गया था, जो असफल हो गया था। तीसरी बार 59 फीट GPT बोरिंग कर एवं 01 एच0पी0 समरसिबुल मोटर लगाकर ग्रामीणों को पानी उपलब्ध कराया गया। उक्त ग्राम में कुल घरों की संख्या 137 अदद के विरुद्ध 90 घरों में गृह जल संयोजन किया गया है। गर्मी के मौसम में इस क्षेत्र में भू-जल का डिस्चार्ज में कमी हो जाती है। जिससे वर्तमान बोरिंग में गर्मी के समय में पानी का डिस्चार्ज कम रहता है। पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए नये बोरिंग की कार्रवाई की जा रही है तथा इस नये बोरिंग से शेष बचे 47 घरों में भी पानी की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाएगी। मांगोचपरी ग्राम में कुल सरकारी IM-II चापाकलों की संख्या 04 अदद है, जो चालू अवस्था में है। उक्त ग्राम में निजी चापाकलों की संख्या 18 अदद है एवं चालू है।

सब्जी मण्डी बनवाना

*464. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर विधान सभा के खरीक और बिहपुर प्रखंड में लीची, आम, केला एवं सब्जी का उत्पादन प्रचुर मात्र में होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थल बिहपुर में फल मंडी और सब्जी नहीं रहने के कारण बिचौलिये औने-पौने दाम में किसान से सौदा कर लेते हैं जिससे किसानों को काफी नुकसान होता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बिहपुर में फल और सब्जी मण्डी बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वरीय घोषित करना

*465. श्री अवधेश सिंह (क्षेत्र संख्या-123 हाजीपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2013 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के प्रथम स्नातक स्तरीय परीक्षा के द्वारा चयनित अराजपत्रित कर्मचारी, अंचल निरीक्षक के पद पर बहाल हुए थे, जिन्हे राजस्व विभाग के द्वारा बिना किसी विशेष अर्हता प्रक्रिया या परीक्षा के राजपत्रित अधिकारी घोषित कर दिया गया है जबकि उसी परीक्षा में उच्चतर रैंक प्राप्त अभ्यर्थी आज भी सचिवालय सहायक के पद पर अराजपत्रित कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित राजस्व अधिकारियों को, जिनकी संख्या 534 से अधिक है, उनको बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा चयनित कर्मियों से वरीय घोषित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चुनाव लड़ने का अवसर देना

*466. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के सभी जिलों में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के निर्वाचन में अध्यक्ष पद पर केवल पैक्स अध्यक्ष ही चुनाव लड़ सकता है जबकि उपाध्यक्ष पद पर पैक्स अध्यक्ष एवं व्यापार मंडल अध्यक्ष दोनों चुनाव लड़ सकते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक में अध्यक्ष पद पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष को भी चुनाव लड़ने का अवसर देना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*467. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-5 लौरिया)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत योगापट्टी अंचल के नवलपुर बाजार रैयत की जमीन पर लगता है जिसके जमीन को दबंगों द्वारा अतिक्रमित किया गया है तथा बाजार में कर की वसूली भी दबंगों द्वारा किया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त बाजार की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पार्किंग की व्यवस्था करना

*468. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला अन्तर्गत तरैया, ईशुआपुर, पानापुर, मशरख सहित राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों के मुख्य बाजारों में वाहन पार्किंग की व्यवस्था नहीं रहने के कारण सड़क पर जाम की स्थिति बन जाती है तथा आम-आवाम को यातायात में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड सहित सभी प्रखंड मुख्यालयों के मुख्य बाजारों में वाहन पार्किंग की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नल-जल का कार्य कराना

*469. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत गोह प्रखंड के ग्राम-बसावनपुर (अंबेडकर नगर बिगहा) पर तथा बाजार वर्मा पंचायत के ग्राम-भगवानपुर में अभी तक मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत नल-जल योजना का कार्य नहीं हुआ है, इन जगहों पर दलितों की काफी घनी आबादी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जगहों पर नल-जल का कार्य कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक है । औरंगाबाद जिलान्तर्गत गोह प्रखंड के पंचायत-हसामपुर के तहत ग्राम-बसावनपुर (अंबेडकर नगर बिगहा) में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत "हर घर नल का जल" का कार्य लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, औरंगाबाद द्वारा नहीं कराया गया है। उक्त पंचायत पंचायती राज विभाग से संबंधित है। गोह प्रखंड के पंचायत बाजार वर्मा के तहत ग्राम-भगवानपुर में PHED के द्वारा मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत "हर घर नल का जल" का कार्य (Deviation/Variation के तहत स्वीकृति के पश्चात्) कराया गया है। जिसके अनुरूप 1200 मीटर पाइप लाइन बिछाकर वर्तमान में सभी 103 घरों में गृह जल संयोजन के माध्यम से नियमित रूप से जलापूर्ति की जा रही है।

पक्कीकरण कराना

*470. श्री चन्द्रहास चौपाल (क्षेत्र संख्या-72 सिंहेश्वर (अ०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर बाजार में अजय यादव के दुकान से शिव मंदिर जाने वाली सड़क में हाथी गेट तक ढलाई एवं ऊँचाईकरण नहीं होने के कारण सड़क पर पानी एवं कीचड़ जमा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सड़क का पक्कीकरण एवं ऊँचाईकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*471. श्री आबिदुर रहमान (क्षेत्र संख्या-49 अररिया)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला मुख्यालय के बस स्टैंड से हटिया रोड, सोनारपट्टी तक एवं काली मंदिर से चांदनी चौक-हॉस्पिटल रोड होते हुये जीरो माईल तक दूकानदारों द्वारा सड़कों का अतिक्रमण कर लिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित स्थानों को स्थायी रूप से अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कृषि उत्पाद बेचना

*472. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज (अ०जा०))--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत नवगठित नगर पंचायत, रानीगंज के बाजार में किसानों द्वारा उत्पादित, फल, सब्जी, एवं अन्य कृषि उत्पादों को बेचने के लिये अधिकारिक रूप से मंडी नहीं रहने के कारण किसानों को अपना उत्पाद बेचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़

रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार किसानों के हित में कृषि उत्पाद बेचने के लिये कौन-सा उपाय करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चापाकल चालू कराना

*473. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के नवीनगर प्रखण्ड में जल स्तर सबसे निचले स्तर पर चला गया है जिसके कारण प्रखण्ड के अधिकांश चापालक सूख गये हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार सूख गये चापाकलों को चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक है । प्रत्येक वर्ष गर्मी के मौसम को देखते हुये विभागीय निर्देशानुसार मरम्मती योग्य बन्द चापाकलों की मरम्मती कराकर चालू करने हेतु निविदा आमंत्रित कर चापाकलों की मरम्मती कर चालू किया जाता है।

माह मार्च-2022 से चलंत मरम्मती दल गठन कर त्वरित गति से चापाकलों की मरम्मती कराकर चालू कराया जा रहा है।

नवीनगर प्रखण्ड अन्तर्गत मार्च, 2022 से अभीतक 341 चापाकलों की साधारण मरम्मती कराकर चालू किया गया है तथा बन्द चापाकलों की सूचना प्राप्त होने पर मरम्मती दल के माध्यम से मरम्मती कराकर चालू किये जाने की कार्रवाई निरंतर जारी है।

वर्तमान में नवीनगर प्रखंड का औसत जल स्तर 39.1 फीट है।

कार्रवाई करना

*474. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प्रावधान नहीं होने के बावजूद पटना जिलान्तर्गत पालीगंज और दुल्हिनबाजार के अंचल कार्यालयों में अंचलाधिकारी व राजस्व कर्मचारी द्वारा निजी सहायक रखे जा रहे हैं, जो अंचल में म्यूटेशन व भूमि विवाद आदि से संबंधित काम के लिये जनता से पैसे की उगाही करते हैं और इनके द्वारा सामानांतर कार्यालय भी चलाया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निकासी करना

*475. श्री अमर कुमार पासवान (क्षेत्र-संख्या-91 बोचहाँ (अ०जा०))--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बोचहाँ विधान सभा के प्रखंड मुशहरी के झपहाँ टोले गंगटी द्रोणपुर में लगभग हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि में जल-जमाव के कारण किसान खेती नहीं कर पाते हैं, जिससे किसान भुखमरी के कगार पर हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त भूमि से जल निकासी कर किसानों को कृषि के लिये भूमि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल की व्यवस्था करना

*476. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन प्रखंड के बुआलदह पंचायत अन्तर्गत वार्ड नं० 4 में लगभग 40-50 परिवारों को नल-जल योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वार्ड में छूटे हुये परिवारों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक है । किशनगंज जिला अंतर्गत कोचाधामन प्रखंड के बुआलदह पंचायत के वार्ड सं० 4 में नल-जल योजना से 130 अदद परिवारों को शुद्ध पेयजल की सुविधा दी गयी है ।

लगभग 40-50 घर की दूरी निर्मित नलकूप से ज्यादा होने के कारण उनमें नल-जल योजना का लाभ नहीं मिल पाया है । संवेदक को इन घरों में जलापूर्ति हेतु कार्यादेश निर्गत कर दी गयी है । संवेदक द्वारा सामग्रियों के क्रय का कार्य किया जा रहा है । यह कार्य दो सप्ताह के अंदर कराते हुये वंचित परिवारों को शुद्ध पेयजल का संयोजन दिया जायेगा ।

माप सही करना

*477. डॉ० निक्की हेम्ब्रम (क्षेत्र संख्या-162 कटोरिया (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बांका जिला अंतर्गत कटोरिया एवं बौंसी प्रखंडों में जन-वितरण प्रणाली द्वारा गेहूँ एवं चावल आवंटित किया जाता है जिसमें गेहूँ एवं चावल 50 किलोग्राम के जगह 45 से 47 किलोग्राम ही लाभुकों को दिया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त तौल से सुधार कर कबतक नियत तौल देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल निकासी करना

*478. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन (क्षेत्र संख्या-133 समस्तीपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र से जल-जमाव की समस्या दूर करने के लिये नगर आयुक्त नगर निगम-समस्तीपुर ने अपने पत्रांक 790, दिनांक 13 मई, 2022 को प्रार्थना पत्र तैयार करवा कर प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजा है जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति अभीतक विभाग से नहीं मिली है, यदि हाँ, तो क्या सरकार समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र से जल निकासी हेतु भेजे गये पत्र के आलोक में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पथ का पक्कीकरण

*479. श्री राणा रणधीर (क्षेत्र संख्या-18 मधुबन)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना के नगर परिषद्, दानापुर निजामत क्षेत्रान्तर्गत

वार्ड नं० 35 चंद्रशेखर नगर मोहल्ला बरसात के चार महीनों में जल प्लावित रहता है जिसमें यहां की हजारों की आबादी को गोला रोड तक पहुँचने के लिये यूको बैंक कॉलोनी के सीताराम पथ होते हुये आना-जाना पड़ता है, जिसके कारण पूर्वी गोला रोड निवासियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ तो क्या सरकार सीताराम पथ के पक्कीकरण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति कराना

*480. श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिलान्तर्गत नगर पंचायत को इस्लामचक गांव में दो जलमीनार का निर्माण तीन वर्ष पूर्व हो चुका है परन्तु जलापूर्ति पाइप लाइन से प्रारंभ नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक जलापूर्ति कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक है । जहानाबाद जिलान्तर्गत प्रखंड काको, पंचायत काको पूर्वी अंतर्गत वार्ड संख्या 06, 07, 10, 11 एवं 14 में वार्ड आधारित नल-जल योजना का कार्य किये जाने हेतु कार्यादेश पत्रांक 1678, दिनांक 26 सितम्बर, 2019 द्वारा दिया गया । 05 वार्डों में कुल 990 घरों की संख्या है, जिसमें 650 घरों को नल-जल योजना से आच्छादित किया गया है । इस्लामचक वार्ड संख्या 06 एवं 07 में आंशिक कार्य कर लिये गये हैं, शेष कार्य एक माह में पूर्ण कर लिया जायेगा । योजना अंतर्गत जलमीनार का निर्माण नहीं किया गया है ।

अधिकार देना

*481. श्री गोपाल रविदास (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी (अ०जा०))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार में ''डी० बंदोपाध्याय'' आयोग के रिपोर्ट के अनुसार 17 लाख लोगों के पास रहने लायक वास-आवास नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सभी गरीबों को वास-आवास का अधिकार देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*482. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत सिकरहना अनुमंडल (ढाका) में केवल 500 MT का केवल 4 SFC गोदाम निर्मित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिले के बड़े अनुमंडलों में शामिल सिकरहना में पर्याप्त गोदाम नहीं होने से खाद्य लदे ट्रकों को गोदाम में खाली होने के इंतजार में ट्रक के घंटो खड़ा रखना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सिकरहना अनुमंडल के ढाका एवं घोड़ासहन प्रखंडों में 1000 MT का 4 गोदाम निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापित करना

*483. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर अंचल के अंचलाधिकारी पिछले कई महीनों से बीमार हैं और इस्माईलपुर अंचलाधिकारी अतिरिक्त प्रभार में हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि दोनों अंचलों की दूरी लगभग 50 किलो मीटर है, जिससे बिहपुर अंचल में उचित समय नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से लघु विवाद, म्यूटेशन अपील, पट्टाधारियों का दखल एवं काविल लगान जैसे महत्वपूर्ण कार्य का निष्पादन ससमय नहीं हो पा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहपुर प्रखंड में शीघ्र नये अंचलाधिकारी को पदस्थापित करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, क्यों ?

कार्रवाई करना

*484. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन विधान सभा में खाद, यूरिया तथा बीज की कलाबाजारी होने के कारण किसानों को महंगे दामों में खरीदना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रमाण-पत्र निर्गत करना

*485. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत 213 काराकाट विधान सभा क्षेत्र के बिक्रमगंज प्रखंड के खैरा भूधर पंचायत में मैधरा गाँव में रहने वाले लाली कहांर, नंदलाल कहांर, बिहारी कहांर तथा अंगद कहांर को 4 वर्ष पहले ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटित की गई थी, लेकिन आहर की जमीन पर बसे होने के कारण एन0ओ0सी0 नहीं मिला है, जिस कारण आवास निर्माण नहीं हो रहा है जबकि आहर की जमीन को भरकर पी0सी0सी0 कार्य आम निवासियों द्वारा कराया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त लोगों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र कबतक निर्गत कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*486. श्री मुकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-126 महुआ)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के नवादा प्रखंड अन्तर्गत महुली पंचायत के ग्राम-महुली में प्रांचीन तालाब को ग्रामीणों के द्वारा अतिक्रमण कर मकान एवं दुकान बनाने के उपरान्त भी अंचलाधिकारी, नवादा के द्वारा अतिक्रमण मुक्त हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्राचीन तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश देते हुये दोषी अंचलाधिकारी पर कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*487. श्री सिद्धार्थ सौरव (क्षेत्र संख्या-191 बिक्रम)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत वेन प्रखंड स्थित ग्राम-मैजरा में अतिक्रमण पईन को मुक्त कराने हेतु प्रमंडलीय आयुक्त, पटना के पत्रांक 1162, दिनांक 9 अक्टूबर, 2021, पत्रांक 119, दिनांक 24 जनवरी, 2022, पत्रांक 384, दिनांक 23 मार्च, 2022 तथा पत्रांक 764, दिनांक 3 जून, 2022 द्वारा निर्देशित किये जाने तथा अनुमंडलाधिकारी, राजगीर के पत्रांक 139, दिनांक 3 मार्च, 2022 द्वारा दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति किये जाने के पश्चात् भी अभीतक पईन को अतिक्रमण मुक्त नहीं किये जाने का औचित्य क्या है ?

कार्रवाई करना

*488. श्रीमती स्वर्णा सिंह (क्षेत्र संख्या-79 गौड़ाबौराम)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के बिरौल अनुमंडल अन्तर्गत अंचलों में जमीन का परिमार्जन, दाखिल-खारिज, ई0 डब्लू0 एस0 प्रमाण-पत्र, जमीन का ऑनलाइन रसीद कटवाने आदि कार्य ससमय नहीं होने से जन-समुदाय को काफी कठिनाइयाँ हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कार्य निष्पादन ससमय कराने हेतु कौन-सी कार्रवाई कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना का लाभ दिलाना

*489. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगाँव)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला अन्तर्गत सनोखर, तेलौधा, अरार, सिलहन, खजुरिया, मदारगंज, धुआवे, अमडंडा, बोड़ा, पाठकडीह आदि क्षेत्र पठारी है एवं अंडर ग्राउंड वाटर बहुत कम है जिसके कारण डीप वेल करने पर ठीक से पानी नहीं मिल पा रहा है, हर घर नल जल योजना के तहत सभी वार्डों में नल-जल की योजना के तहत नल तो लग गया है लेकिन ट्यूबवेल का डिस्चार्ज कम होने के कारण जनता पूर्णरूप से इस योजना से लाभान्वित नहीं हो पा रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर नल का जल योजना का पूर्ण लाभ लोगों को देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक है । वर्णित पंचायत में सनोखर, अरार एवं धुआवें पंचायतों में जलापूर्ति लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अन्तर्गत है एवं तेलौधा, सिलहन, खजुरिया, मदारगंज, अमडंडा, बोड़ा पाठकडीह आदि पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत है । वर्णित सभी पंचायत सन्हौला प्रखंड अन्तर्गत आते हैं । जहाँ का अधिकांश क्षेत्र झारखंड का सीमावर्ती क्षेत्र है एवं आंशिक रूप से पठारी क्षेत्र है । पठारी क्षेत्र होने के कारण नलकूप से अधिक क्षमता पम्प के साथ जलापूर्ति होने पर कठिनाई होती है । वर्तमान में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग क्षेत्रान्तर्गत पंचायतों के अरार ग्रामीण जलापूर्ति योजना से वार्ड संख्या 3 एवं 4 में कुल 673 घरों में, धुआवे ग्रामीण जलापूर्ति योजना से वार्ड संख्या 6, 7, 8, 9 एवं 10 के कुल 900 घरों में, सनोखर ग्रामीण जलापूर्ति योजना से वार्ड संख्या 6, 7, 8, 9, 10 एवं 11 के कुल 775 घरों में एवं मिनी जलापूर्ति योजना, धुआवे से वार्ड संख्या 1 के कुल 145 घरों में, सनोखर मिनी जलापूर्ति योजना वार्ड संख्या 1 एवं 4 में क्रमशः कुल 150 एवं कुल 200 घरों में जलापूर्ति की जा रही है ।

सड़क का पक्कीकरण

*490. श्री विजय कुमार मण्डल (क्षेत्र संख्या-210 दिनारा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिलान्तर्गत डुमराव नगर परिषद् के वार्ड नं0 07 में पटेल कॉलोनी में मेन रोड से प्रीति पटेल के घर तक सड़क 900 मीटर कच्ची है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क निर्माण हेतु नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् डुमराव द्वारा मार्च, 2021 में सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना को भेजा गया है लेकिन आजतक उक्त सड़क के निर्माण कार्य की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त कच्ची सड़क का पक्कीकरण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सब्जी मार्केट का निर्माण

*491. श्रीर गोपाल रविदास (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी (अ0 जा0))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला अन्तर्गत फुलवारी शरीफ नगर परिषद् क्षेत्र में सब्जी का खरीद-बिक्री बीच रोड पर ही होता है, जिससे गाड़ियों के परिचालन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त नगर परिषद् क्षेत्र के वार्ड नं0-4 और वार्ड नं0-13 के अन्तर्गत पड़ने वाली रोड को ही सब्जी खरीद-बिक्री करने हेतु नगर परिषद् फुलवारी शरीफ द्वारा राजस्व के लिए रोड को ही निलाम करती आ रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार क्या फुलवारी शरीफ नगर परिषद् क्षेत्र में सब्जी मार्केट निर्माण का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*492. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 29 अप्रील, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "11713 क्विंटल चावल का किया गबन, गोदाम प्रबंधन पर केस" को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा के कुशेश्वर स्थान प्रखण्ड के सतीघाट एस0एफ0सी0 में 11713 क्विंटल चावल का गबन तीन माह पूर्व किया गया है, जिसके कारण उस समय उपभोक्ताओं के बीच खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जा सका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला में बिचौलियों और सी0एफ0सी0 प्रबंधकों के मिली-भगत से खाद्यानों के वितरण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार दरभंगा जिला में खाद्यान्नों के गबन तथा वितरण में गड़बड़ी के दोषी पदाधिकारी को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

गोदाम का निर्माण

*493. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला अंतर्गत सन्हौला प्रखंड धान की पैदावार में जिले में अव्वल है एवं यहां के पैक्स एवं व्यापार मंडल को धान अधिप्राप्ति का 67 प्रतिशत सीएमआर चावल तैयार कर भागलपुर बागबाड़ी स्थित गोदाम पर जमा करना पड़ता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन में पैक्स एवं व्यापार मंडल को सरकार द्वारा निर्धारित राशि से अधिक खर्च आता है एवं समय की बार्बादी होती है, यदि हाँ, तो सरकार पैक्स व्यापार मंडल सहित किसानों की समस्या के निवारण हेतु सन्हौला में 5000 मेट्रिक टन के सीएमआर गोदाम के निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पशु चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति

*494. श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबूबरही)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बाबूबरही विधान सभा के लदनियां प्रखण्ड मुख्यालय में अवस्थित पशु चिकित्सालय का अपना भवन नहीं रहने तथा पशु चिकित्सक नहीं होने के कारण पशुपालकों को अपने पशुओं का इलाज हेतु भटकना पड़ता है और समय पर इलाज के अभाव में पशु मर जाते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पशु चिकित्सालय का भवन बनाकर पशु चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*495. श्री भाई वीरेन्द्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि विभागीय ज्ञापांक 6 (सुपौल वा0 पर्चा) 82/2022-674(6)210, दिनांक 29 मार्च, 2022 के आलोक में सुपौल जिलान्तर्गत मरौना अंचल स्थित बसखोड़ा ग्राम में खाता संख्या 171, खेसरा संख्या 224, रकबा-1.83 डिसमील भूखण्ड से अंचल कार्यालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को वासगीत पर्चा निर्गत नहीं किया गया है, परन्तु उक्त भूखण्ड पर श्री भूपेन्द्र राम सहित अन्य सात व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित भूखण्ड को अतिक्रमण मुक्त कराने के साथ ही सीमांकन कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापित करना

*496. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला अंतर्गत फरबिसगंज विधान सभा क्षेत्र में एक मात्र पशु चिकित्सालय में केवल एक पशु चिकित्सक कार्यरत है जबकि पशु चिकित्सालय में कुल 8 पद सृजित है, यदि हाँ, तो सरकार स्वीकृत पद के अनुसार उक्त पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक पदस्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कठिनाई दूर करना

*497. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी विवाह पंचमी मेला का बंदोबस्ती राजस्व विभाग सीतामढ़ी अपर समाहर्ता कार्यालय से विज्ञापन निकालकर डाक द्वारा की जाती थी जो अब जिला परिषद् को हस्तांतरित कर दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला परिषद् कार्यालय सीतामढ़ी द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए विवाह पंचमी मेला बंदोबस्ती हेतु विज्ञापन जनवरी, 2021 में निकाला गया परन्तु कोविड के कारण बंदोबस्ती नहीं हो सकी जिससे सरकार को राजस्व की काफी क्षति हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस कठिनाई को दूर करने की दिशा में क्या विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दुकान आवंटन करना

*498. श्री नरेन्द्र कुमार नीरज (क्षेत्र संख्या-153 गोपालपुर)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंड के पंचायत बेसरबाटी, ग्राम-कौआभीठा के जन-वितरण प्रणाली के विक्रेता की मृत्यु दिनांक 19 सितम्बर, 2016 को हो गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि मृतक विक्रेता के आश्रित पुत्र मो0 आकीफ इकबाल द्वारा जन-वितरण प्रणाली विक्रेता के अनुज्ञप्ति हेतु वर्ष 2017 में आवेदन दिया गया था, परंतु सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद आज तक जन-वितरण प्रणाली की दुकान का आवंटन नहीं किया गया ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मृतक के आश्रित पुत्र को कबतक जन-वितरण प्रणाली की दुकान आवंटन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उपलब्ध कराना

*499. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के मोरवा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ताजपुर एवं पटोरी को वर्ष 2021 में ही नगर परिषद् का दर्जा दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों नगर परिषद् में जन्म प्रमाण-पत्र एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र विभागीय स्तर पर कोड नहीं मिलने के कारण हजारों-हजार की संख्या में आवेदन लम्बित है, जिसे जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों नगर परिषद् में विभागीय स्तर पर कोड उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सड़क एवं नाला निर्माण

*500. श्री राज कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-144 मटिहानी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मटिहानी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बेगूसराय नगर निगम के सड़क एवं नाला निर्माण कार्य में शिथिलता की वजह से संपूर्ण निगमवासियों को हमेशा भीषण जाम का सामना करना पड़ता है और वर्षा उपरांत सड़कों पर जल-जमाव एवं कीचड़ होने से यातायात ठप हो जाती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त नगर निगम में सड़क एवं नाला निर्माण कार्य कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पथ का जीर्णोद्धार कराना

*501. श्री छत्रपति यादव (क्षेत्र संख्या-149 खगड़िया)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दिनांक 07 जुलाई, 2021 को नगर विकास एवं आवास विभाग की बैठक में कंडिका 4 पर अंकित विषय के संबंध में निर्णय लिया गया है कि नगर निकायों को अर्हता प्राप्त पथों की अधिसूचना और पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरण किये जाने तक सभी पथों का संधारण संबंधित नगर विकास पूर्ववत करते रहेंगे परंतु खगड़िया जिलान्तर्गत राजेन्द्र चौक से बखरी स्टैंड तक का संधारण नगर परिषद्, खगड़िया द्वारा नहीं किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पथ के जीर्णोद्धार हेतु जिलाधिकारी के पत्रांक 3969, दिनांक 29 दिसम्बर, 2021 द्वारा विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है जो अभीतक अप्राप्त है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर उपर्युक्त पथ का जीर्णोद्धार कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दखल-कब्जा दिलाना

*502. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या 33 खजौली)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर प्रखंड अन्तर्गत देवधा दक्षिणी एवं बेलही दक्षिणी पंचायत के चौबन भूमिहीन दलित परिवारों को जयनगर अंचल के अभिलेख संख्या 1/2004-2005 के तहत 17 मई, 2005 को उसराही-देवधा मौजा के खाता संख्या 666 खेसरा संख्या 7794 में प्रत्येक परिवार को 29-29 डिसमिल भूमि का पर्चा दिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि 17 वर्षों के बाद भी उक्त भूमि पर भूमिहिनों को अभीतक प्रशासन के द्वारा दखल-कब्जा नहीं दिलाया गया है जिसके कारण उक्त दलित भूमिहीन पर्चाधारी परिवार दर-दर भटक रहें हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त भूमिहीन पर्चाधारी महादलित परिवारों को दखल-कब्जा दिलाने तथा विलम्ब के लिये दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*503. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत सिकरहना अनुमंडल के ढाका एवं घोड़ासहन प्रखण्ड परिसर में निर्मित SFC गोदाम में भारी वजन के ट्रकों के आने जाने के कारण गोदाम जाने का रास्ता पूर्णत: बड़े-बड़े गढ्ढों में तब्दील हो गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त रास्ते के जर्जर सड़क का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चावल मील खोलना

*504. श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र संख्या-207 चेनारी (अ०जा०))--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला अन्तर्गत रोहतास, नौहट्टा और तिलौथू प्रखण्ड में कोई भी उसना चावल मील नहीं हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों में उसना चावल मील खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*505. श्री दिलीप राय (क्षेत्र संख्या-26 सुरसंड)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के पुपरी अंचल एवं प्रखण्ड का कार्यालय अतिजर्जर होने के कारण बड़े हादसे होने के साथ-साथ कार्यालय अभिलेखों के विनष्ट होने की स्थिति बनी हुयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जर्जर भवन के स्थान पर नये भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पक्का आवास बनाना

*506. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत नगर पंचायत गडहनी के बिचली पट्टी एवं उत्तर पट्टी के मांझी टोला में कई परिवार भूमिहीन एवं आवासविहीन हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मांझी टोला के लोग एक-एक कमरों में भेड़-बकरियों की तरह रहने को मजबूर हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त मांझी टोला में रहने वाले महादलित समुदाय के लोगों को भूमि का पर्चा दिला कर पक्का आवास बनवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अधिनियम समाप्त करना

*507. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018 में क्रेता-विक्रेता जमाबंदी रैयत, खतियानी रैयत आदि के नाम से परिलक्षित त्रुटियों लोप से संबंधित त्रुटियों का सुधार अधिनियम में 1 वर्ष का समय-सीमा का निर्धारण किये जाने से भू-स्वामियों को दोहरी राशि का भुगतान करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्ष 2018 में उक्त त्रुटियों से संबंधित अधिनियम को समाप्त करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

जाम से मुक्त कराना

*508. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज बाजार में झांसी रानी चौक से कॉलेज चौक तथा रजिस्ट्री ऑफिस जाने वाली सड़क के दोनों ओर सब्जियों की दुकान तथा ठेला, टेम्पू लगे रहने के कारण सड़क पर अतिक्रमण बढ़ता ही जा रहा है जिससे आमजनों को जाम की समस्या का रोज सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बहादुरगंज बाजार को जाम से मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि भुगतान कराना

*509. श्री सउद आलम (क्षेत्र संख्या-53 ठाकुरगंज)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य कृषि विपणन परिषद्, अररिया स्थित कार्यालय से सेवानिवृत्त बाजार पर्यवेक्षक श्री नुरूल कमर, निवासी-बहादुरगंज, किशनगंज की वर्ष 2013 में हुई मृत्यु पश्चात उनकी पत्नी श्रीमती अहमदी बेगम को नियमानुसार देय सेवांत लाभ की पूरी राशि अभीतक नहीं दी गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उनकी विधवा पत्नी अहमदी बेगम को नियमानुसार देय सेवांत लाभ की राशि कबतक भुगतान कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

उपलब्ध कराना

*510. श्री महा नंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिला में एमटीयू 7029 की सुपर क्वालिटी बीज का इस्तेमाल किसानों द्वारा किया जाता है परन्तु बीज कम मात्रा में मंगाया गया है जिससे किसानों को दिक्कत हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार अरवल में MTU 7029 की सुपर क्वालिटी की बीज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*511. श्री मोहम्मद कामरान (क्षेत्र संख्या-238 गोविन्दपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के रोह अंचल के 14 पंचायत में कार्यरत एक राजस्व कर्मचारी दिनांक 31 अगस्त, 2021 को सेवानिवृत्त होने के उपरांत भी सरकारी दस्तावेजों पर राजस्व कर्मचारी का हस्ताक्षर कर रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा सरकारी दस्तावेज पर गलत ढंग से कार्य करने के कारण भूमि विवाद की संख्या बढ़ रही है जबकि उक्त कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद सेवा विस्तार भी विभाग में नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं उनसे कार्य लेने वाले पदाधिकारी पर कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*512. श्री सतीश कुमार (क्षेत्र संख्या-218 मखदुमपुर (अ०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नगर पंचायत, मखदुमपुर (जहानाबाद) द्वारा एजेंसी के साथ किये गये एग्रीमेंट के नियमानुसार साफ-सफाई कर्मी नियुक्त नहीं करके एक तिहाई से भी कम कर्मी नियुक्त किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मखदुमपुर नगर पंचायत में साफ-सफाई हेतु अधिकृत एजेंसी द्वारा

नियुक्त कर्मी का ई०पी०एफ० अकाउंट खुलवाकर ई०पी०एफ० कटौती की राशि जमा करना है जो कि ई०पी०एफ० कटौती की राशि पिछले कई महीनों से नियुक्त कर्मी के अकाउंट में जमा नहीं किया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि एजेंसी एवं विभाग के मिलीभगत से ई०पी०एफ० की राशि एवं कम कर्मी रखकर हर महीने सरकार का लाखों रुपया का फर्जी निकासी की जा रही है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार एजेंसी एवं विभाग के कर्मी की संलिप्तता की जांच कर कबतक कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

जमीन दिलाना

*513. श्री नरेन्द्र नारायण यादव (क्षेत्र संख्या-70 आलमनगर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला मधेपुरा अन्तर्गत अंचल पुरैनी ग्राम पंचायत कुरसंडी के अधीन ग्राम-बालाटोला, बथनाहा, बलि, कुरसंडी, बासुदेवपुर, रामटोला तथा कुरसंडी में बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति के गरीब लोग सड़क के किनारे बसे हुये हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार अभियान बसेरा के तहत उपर्युक्त स्थानों पर बसे लोगों का सर्वेक्षण कराकर बास हेतु 5-5 डी० जमीन दिलवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*514. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, नगर विकास आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बेगूसराय नगर निगम में सर्वोदय नगर के वार्ड संख्या 40 में एम०आर०जे०डी० कॉलेज के पीछे शिव मंदिर से पूरब रोड में नाला का निर्माण नहीं हुआ है, जिसके कारण विगत 2 वर्षों से उक्त क्षेत्र में हमेशा जल-जमाव की समस्या बनी रहती है साथ ही हमेशा बिमारियों का खतरा बना रहता है एवं आवागमन में भी काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में शिव मंदिर से पूरब रोड तक नाला का निर्माण यथाशीघ्र कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्य शुरू कराना

*515. श्री अवध बिहारी चौधरी (क्षेत्र संख्या-105 सीवान)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान नगर परिषद् द्वारा दो वर्ष पूर्व सीवान के दाहा नदी के किनारे पार्क निर्माण हेतु दो सौ करोड़ का प्रोजेक्ट एवं प्रदूषित जल निकासी के लिये पाँच सौ करोड़ का प्रोजेक्ट 5 वर्ष पूर्व सीवान नगर परिषद् (बुडको) द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को भेजा गया है, लेकिन उक्त दोनों प्रोजेक्ट पर अभीतक कार्य शुरू नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों प्रोजेक्ट पर कबतक कार्य शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*516. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 21 मई, 2022 के अंक में छपी खबर शीर्षक ''आँधी-पानी से कोसी सीमांचल व पूर्वी बिहार में फसलों की क्षति'' के आलोक में क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पिछले महीने राज्य में आये भीषण आंधी-पानी के कारण किशनगंज, पूर्णियाँ, अररिया एवं कटिहार सहित अन्य जिलों में मक्का के खड़ी फसल के साथ-साथ केला एवं आम के बागों को भी भारी क्षति पहुँची है ;

(2) क्या यह बात सही है कि किसानों को फसलों के क्षति का उचित मुआवजा अभीतक प्राप्त नहीं हुआ है जिससे कृषकों में काफी असंतोष है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार किसानों को कबतक उचित मुआवजा का भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

परिसीमन कराना

*517. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-5 लौरिया)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला के योगापट्टी प्रखंड अन्तर्गत नवसृजित नगर पंचायत, मच्छरगावाँ में शेषनन्हकार, धनुष टोली, लौकरिया, बेचिरागी, सिसवनिया, मुरगीया टोला तथा बढ़ई टोला, फतेहपुर को जोड़ा गया है जो नगर पंचायत में जुड़ने की पात्रता नहीं रखता है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर पुनः उक्त नगर पंचायत का परिसीमन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क मरम्मत कराना

*518. श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधुबनी नगर निगम क्षेत्र की सिंघिनिया चौक से महाराजगंज होते हुये किशोरी लाल चौक तक जाने वाली विभाग की सड़क अत्यंत जर्जर है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक इसे मरम्मती कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*519. श्री रामप्रवेश राय (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बरौली नगर परिषद् क्षेत्र में कोई भी पार्क नहीं रहने के कारण नगर परिषद् के नागरिकों को सुबह-सवेरे काफी असुविधा होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार नगर परिषद्, बरौली में कबतक पार्क का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पुल निर्माण कराना

*520. श्री इजहारूल हुसैन (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत नगर परिषद् के वार्ड नम्बर 20 में खीरदह मजार से खीरदह गाँव के बीच वर्ष 2017 में आई बाढ़ से पानी के निकास स्थल पर सड़क कट गया था जहाँ पुल का निर्माण नहीं होने से बरसात में आमजनों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर पुल का निर्माण करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुल निर्माण कराना

*521. श्री इजहारूल हुसैन (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत नगर परिषद् के वार्ड नम्बर 32 एवं 34 के खगड़ा से मझिया जाने वाली सड़क में ईंठ भट्ठा के निकट मझिया पुल वर्ष 2017 में आई बाढ़ से ध्वस्त हो चुका है जिससे वर्षाकाल में समस्त आवागमन बाधित रहता है तथा स्थानीय लोगों एवं छात्र/छात्राओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थान पर पुनः पुल निर्माण करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उर्वरक मुहैया कराना

*522. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के सभी पैक्सों एवं व्यापार मंडल तथा सहकारी समिति के किसानों को खाद वितरण के लिये राज्य सरकार द्वारा सिर्फ ईफको कम्पनी के ही खाद का आवंटन किया जाता है, जबकि राज्य स्तर पर सभी प्राईवेट लाईसेंसधारियों को सभी प्रकार के उर्वरक की आपूर्ति की जाती है, यदि हाँ, तो सरकार प्राईवेट लाईसेंसधारियों की तरह राज्य के सभी पैक्सों एवं व्यापार मंडल से किसानों को सभी प्रकार की उर्वरक मुहैया कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आर्थिक दंड लगाना

*523. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नगर निगम क्षेत्र के निवासियों से गृह कर में विलम्ब होने पर करदाताओं से सरकार द्वारा 200 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज वसूला जाता है परंतु नगर निगम द्वारा समुचित सेवा प्रदान नहीं करने के लिये आर्थिक दंड का कोई प्रावधान नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार समानता के अधिकार का पालन करते हुये नगर निगम द्वारा समुचित सेवा उपलब्ध नहीं कराये जाने पर निगम पर आर्थिक दंड लगाकर करदाता को राहत देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*524. श्री हरीभूषण ठाकुर "बचोल" (क्षेत्र संख्या-35 बिस्फी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड अन्तर्गत खेरी बाँका में श्मशान की भूमि अतिक्रमित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त श्मशान की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

लाभ दिलाना

*525. श्री राजवंशी महतो (क्षेत्र संख्या-141 चेरिया बरियारपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि एफ0पी0ओ0 को उर्वरक की आपूर्ति जिला कृषि पदाधिकारी, बेगूसराय के द्वारा नहीं की जा रही है, जिससे किसान एफ0पी0ओ0 से जुड़ने के बावजूद भी इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करते हुये किसानों को लाभ दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल आपूर्ति करना

*526. श्री अमरजीत कुशवाहा (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेई)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की कार्य योजना में है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सीवान जिला अन्तर्गत नगर पंचायत, मैरवा में जलमीनार से जल की आपूर्ति आजतक नहीं हुआ है जबकि जलमीनार का निर्माण 2008 में पी0एच0ई0डी0 द्वारा कार्य पूरा कर नगर पंचायत को हस्तगत करा दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त नगर पंचायत के सभी वार्डों में जल आपूर्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पशु चिकित्सा उपलब्ध कराना

*527. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नवीनगर प्रखण्ड में पशु चिकित्सालय का भवन नहीं रहने और पर्याप्त पशु चिकित्सकों के नहीं रहने के कारण क्षेत्र की जनता को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में नवीनगर में पशु चिकित्सालय का भवन बनाकर एवं पर्याप्त संख्या में पशु चिकित्सक पदस्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*528. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण के उप-समाहर्ता, भूमि सुधार विभाग ने बेतिया सदर के पत्रांक 629, दिनांक 19 अक्टूबर, 2013 के आलोक में आर0टी0पी0एस0 के तहत प्राप्त आवेदन का ससमय निष्पादन न करने के आरोप में श्री विनय कुमार, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी को 73,000 रुपये अर्थदण्ड लगाए गए थे और वर्ष 2016 में उक्त अर्थदण्ड का भुगतान तत्कालीन राजस्व कर्मचारी द्वारा कर दिया गया एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा 2014 में अर्थदण्ड को खारिज करने के बाद समाहर्ता पश्चिमी चम्पारण, बेतिया के पत्रांक 141/रा0, दिनांक 17 अप्रील, 2021 एवं अपर समाहर्ता, पश्चिमी चम्पारण के पत्रांक 134प्र0/रा0, दिनांक 29 जून, 2021 द्वारा अपर मिशन सोसाईटी, पटना से राशि का भुगतान हेतु मार्गदर्शन की मांग की गयी थी लेकिन आजतक उक्त कर्मी को अर्थदण्ड की राशि वापस भुगतान नहीं करने का क्या औचित्य है ?

काम पूरा कराना

*529. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ0 ज0 जा0))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी नगर पंचायत के 15 वार्डों में से वार्ड संख्या 1, 3, 8, 9 को छोड़कर शेष बचे वार्डों में नल-जल योजना का काम नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक शेष बचे वार्डों में नल-जल योजना का काम पूरा करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चालू कराना

*530. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अंतर्गत डण्डखोरा प्रखंड के सौरिया ग्राम पंचायत में वर्ष 2017 में मछली पालन केंद्र चालू किया गया था, परन्तु मछली पालन केंद्र चालू होने के 6 माह के अंदर ही बंद कर दिया गया था, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मछली पालन केंद्र को चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कृषि इनपुट दिलाना

*531. श्री नरेन्द्र नारायण यादव (क्षेत्र संख्या-70 आलमनगर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला मधेपुरा अन्तर्गत प्रखंड आलमनगर, प्रखंड चौसा, प्रखंड पुरैनी, प्रखंड उदाकिशनगंज के अधीन दिनांक 29 अप्रील, 2022 को भीषण आंधी एवं वर्षा के कारण हजारों हेक्टेयर में लगी मकई की फसल बर्बाद हो गई जिसके कारण किसानों को करोड़ों रुपये की क्षति उठानी पड़ी है, यदि हाँ, तो सरकार उपर्युक्त प्रखंडों में फसल क्षति का आकलन कराकर प्रभावित कृषकों को कृषि इनपुट दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कठिनाई दूर करना

*532. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में किसानों को पैक्स सदस्य बनने हेतु पंजीकरण के बाद पिछले सात महिनों से आ रही तकनीकी कठिनाइयों में यथा पहचान-पत्र, फोटो, हस्ताक्षर एवं सत्यापनकर्ता का हस्ताक्षर अपलोड नहीं हो पा रहा है तथा ओ0टी0पी0 निर्गत नहीं किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में झंझारपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत काको सहित मधुबनी जिला में इच्छा रहते हुए भी किसान पैक्स का सदस्य नहीं बन पा रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार किसानों की पैक्स सदस्य बनने में उत्पन्न कठिनाइयों को कबतक दूर करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*533. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 11 मई, 2022 को प्रकाशित शीर्षक ''सूबे में खर्च की धीमी गति से पिछड़ रही उद्यान योजनाएं'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के उद्यान निदेशालय की वर्ष 2021 की विभिन्न योजनाओं में से चार योजनाओं में एक साल बाद 20 प्रतिशत राशि भी खर्च नही हुआ, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

क्षतिपूर्ति मुआवजा देना

*534. श्री चन्द्रशेखर (क्षेत्र संख्या-73 मधेपुरा)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2022 के अप्रैल एवं मई माह में दो बार आए आँधी, चक्रवाती तुफान एवं बेमौसम अत्यधिक वर्षा के कारण मधेपुरा जिला सहित सम्पूर्ण कोशी प्रमंडल के हजारों एकड़ में लगी मक्का एवं गेहूँ आदि की फसल बर्बाद हो गयी है जिससे किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गयी है, यदि हाँ, तो सरकार सर्वेक्षण कराकर किसानों को क्षतिपूर्ति मुआवजा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रास्ता उपलब्ध कराना

*535. श्री सुरेन्द्र मेहता (क्षेत्र संख्या-142 बछवाड़ा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के सरायरंजन प्रखंड अंतर्गत मणिकपुर पंचायत के जगदीशपुर गांव के वार्ड नं0 4 में सड़क का 10 कट्ठा जमीन जिसका थाना नं0 332, पुराना खेसरा नं0 2027, नया खेसरा नं0 6914 है उसे स्थानीय लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिसके कारण कई ग्रामवासी का घर का रास्ता बंद हो गया है तथा इस संबंध में पीड़ितों द्वारा दिनांक 24 मई, 2019 को अंचलाधिकारी को अवैध कब्जा हटाने का आवेदन भी दिया गया, किन्तु अभीतक कोई कार्रवाई नहीं हुई है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड (1) में वर्णित भूमि का अवैध कब्जा को मुक्त कराते हुए पीड़ित परिवार को आवागमन का रास्ता उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*536. श्री प्रणव कुमार (क्षेत्र संख्या-165 मुंगेर)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के मुंगेर विधान सभा क्षेत्र में एफसीआई के द्वारा जन-वितरण प्रणाली की दुकानों को एवं विद्यालयों में दी जानेवाली चावल घटिया किस्म का रहता है तथा माप में भी कम दिया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्ट्रीट लाइट लगवाना

*537. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला के नगर पंचायत पिपरा बाजार में स्ट्रीट लाइट नहीं रहने से यहां के व्यापारियों के साथ-साथ आमजनों को रात्रि में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार पिपरा बाजार के सभी पोल पर स्ट्रीट लाइट कबतक लगवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थानान्तरण करना

*538. श्री विजय शंकर दूबे (क्षेत्र संख्या-112 महाराजगंज)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के महाराजगंज अंचल के निवर्तमान अंचलाधिकारी अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, लेकिन अभी भी वहीं पदस्थापित हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक इन्हें अन्यत्र दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*539. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ नगर निगम क्षेत्र के दो लाईफ लाइन सड़क वार्ड संख्या 26 में गंगा दार्जिलिंग फलावर मील सड़क से धागड़ टोला मध्यविद्यालय पंचायत भवन होते हुये नेवालाल चौक तक परासर गैरेज से उदय साह आर०एन०पी० सिंह के घर होते हुये खिरू चौक तक का सड़क काफी जर्जर है एवं सड़क पर जल-जमाव होने से यातायात बाधित रहता है तथा शहर में जाम की समस्या बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार पूर्णियाँ शहर में जाममुक्त यातायात हेतु उक्त दोनों सड़क एवं नाला का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नल-जल का कार्य कराना

*540. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत गोह प्रखंड के वर्मा खुर्द पंचायत के ग्राम पहरपुरा तथा हसपुरा प्रखंड के धूसरी पंचायत के ग्राम हरी बिरहा के वार्ड नंबर 5 में अभीतक मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत नल-जल का कार्य नहीं कराया गया है और

इन जगहों पर काफी घनी आबादी है और लोगों को पानी के लिये लगभग 2 किलोमीटर जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जगहों पर नल-जल का कार्य करवाने का रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापित करना

*541. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभुतिपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर अंचल अन्तर्गत राजस्व कर्मचारी का सृजित पद 30 है, जबकि वर्तमान में मात्र 4 कर्मचारी कार्यरत है, जिसके कारण कर्मचारियों पर काम का दबाव अधिक है एवं दाखिल-खारिज सहित अन्य कार्यों के निष्पादन में कठिनाई होती है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विभूतिपुर अंचल में सृजित पद के अनुरूप राजस्व कर्मचारी को पदस्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्य पूरा करवाना

*542. श्री बीरेन्द्र सिंह (क्षेत्र संख्या-234 वजीरगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत गया नगर निगम के तहत मानपुर शहरी के सातों वार्ड में नल-जल का कार्य आधा अधूरा कर छोड़ दिया गया है, जिसके कारण लोगों को काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त आधे अधूरे कार्य को पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक। गया जिलान्तर्गत गया नगर निगम के तहत मानपुर शहर के कुल सात वार्ड में से दो वार्डों (47 एवं 53) में कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष पाँच वार्ड मिलाकर लगभग 1.6 KM पाइप लाइन का कार्य किया जाना बाकी है, जिसे यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा।

जल-जमाव से मुक्ति दिलाना

*543. श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के सासाराम नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत शहरी क्षेत्र के नालों की सफाई नहीं होने से बरसात के मौसम में पानी रोड पर जमा हो जाता है, जिससे आवागमन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त शहरी क्षेत्र के नालों को बरसात से पहले सफाई कर जल-जमाव से मुक्ति दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क एवं ड्रेनेज सिस्टम बनवाना

*544. श्रीमती अनिता देवी (क्षेत्र संख्या-211 नोखा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के नोखा नगर परिषद् अन्तर्गत मुख्य पथ आरा-सासाराम बस स्टैंड से पश्चिम पट्टी तक सड़क की स्थिति बहुत जर्जर है एवं ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं रहने के कारण सड़क पर जल-जमाव रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर सड़क एवं ड्रेनेज सिस्टम बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*545. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधेपुर-ठेंगहा पथ में कमला नदी पर पुल एवं पहुँच पथ के लिये 10 वर्ष पूर्व ही किसानों से भूमि का अधिग्रहण किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उनमें से अनेकों भू-धारियों को मुआवजा दिया गया परन्तु श्री योगेन्द्र झा, पिता स्व० भागवत झा, भीठ भगवानपुर, थाना मधेपुर, जिला मधुबनी सहित शेष भू-धारियों को अधिगृहित भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार श्री योगेन्द्र झा सहित शेष भू-धारियों को भी अधिगृहित भूमि का मुआवजा कबतक देना चाहती है, है, नहीं, तो क्यों ?

दवाओं की उपलब्धता

*546. श्री जितेंद्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावाँ)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा राज्य के प्रखंडस्तरीय पशु चिकित्सालय में 42 प्रकार की दवा की उपलब्धता की व्यवस्था की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत अस्थावां विधान सभा क्षेत्र के अस्थावां, सरमेरा, बिंद एवं कतरीसराय प्रखंडों के पशु अस्पताल में एक भी प्रकार की दवा की उपलब्धता नहीं होने के कारण वहां के पशुपालकों में आक्रोश व्याप्त है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त प्रखंडों के पशु अस्पतालों में सभी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मानदेय का भुगतान

*547. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार का पत्रांक 118 (4), दिनांक 26 फरवरी, 2015 के आलोक में वैशाली समाहरणालय, जिला स्थापना का ज्ञापांक 581, दिनांक 2 जून, 2016 द्वारा श्री गुंजन प्रियदर्शी, कार्यपालक सहायक का नियोजन भूमि उप-समाहर्ता, महनार, वैशाली के कार्यालय में किया गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि श्री गुंजन प्रियदर्शी वर्तमान में भूमि उप-समाहर्ता, महनार के कार्यालय में कार्यरत है, जो कि पूर्व से कार्यरत हैं ;

(3) क्या यह बात सही है कि नियमानुकूल देय प्रति माह मानदेय के बजाय मार्च, 2020 से फरवरी, 2022 तक कुल 23 माह का मानदेय राशि का भुगतान श्री प्रियदर्शी को अबतक नहीं किया जा सका है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्री प्रियदर्शी के 23 माह के बकाया मानदेय का भुगतान करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन करना

*548. श्री बागी कुमार वर्मा (क्षेत्र संख्या-215 कुर्था)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के सोनभद्र वंशी सूर्यपुर प्रखंड अन्तर्गत प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालय वंशी में पशु चिकित्सक का पद रिक्त है तथा दूसरे चिकित्सालय के पशु चिकित्सक अतिरिक्त प्रभार में हैं जिसके कारण स्थानीय पशुपालकों को असुविधा होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालय, वंशी में स्थाई पशु चिकित्सक का पदस्थापन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जांच कराना

*549. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना शहर स्थित कॉम्फेड में करोड़ों की लागत से निर्माण हो रहे ई०आर०पी० परियोजना को पूर्ण करने की अवधि 11 वर्ष निर्धारित थी, आधा अधूरा निर्माणाधीन परियोजना काम्फेड एम०डी० द्वारा 26 नवम्बर, 2019 को उद्घाटन भी करा लिया गया और राज्य सरकार से उक्त प्रोजेक्ट का विस्तारीकरण के नाम पर पुन: वित्तीय वर्ष 2020-21 में लागत 14 करोड़ की राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान कराया गया, उक्त वर्णित प्रोजेक्ट के निर्माण एवं विस्तारीकरण कार्य में बड़े पैमाने पर लोकधन की राशि की लूट हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित प्रोजेक्ट निर्माण एवं विस्तारीकरण में हो रहे भ्रष्टाचार का उच्चस्तरीय जांच कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

स्ट्रीट लाइट लगवाना

*550. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत शेरघाटी नगर परिषद् द्वारा शेरघाटी शहर में बहुतायत जगहों पर स्ट्रीट लाइट एवं तीन जगहों पर हाई मास्क लाइट लगायी गयी थी जो विभागीय देख-रेख के अभाव में खराब हो गया है जिसके कारण दूरदराज के क्षेत्रों से रात के समय आये राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त खराब पड़े स्ट्रीट लाइटों का बदलने/बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि का भुगतान

*551. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि डुमराँव नगर परिषद् में सैकड़ों सफाई कर्मी आउटसोर्सिंग एजेंसी के तहत कार्यरत हैं जिन्होंने वैश्विक महामारी (COVID-19) की रोकथाम कार्य के लिये लगातार काम किये हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार के अवर-सचिव के पत्रांक संख्या 2808 पटना, दिनांक 13 सितम्बर, 2021 के आलोक में वैश्विक महामारी (COVID-19) की रोकथाम कार्य के लिये राज्य के सभी नगर निकायों के स्थायी/संविदा/दैनिक कर्मियों को 15 दिनों के मूल वेतन/मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि दिये जाने का निर्देश दिया गया था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वैश्विक महामारी (COVID-19)

के दौरान आउटसोर्सिंग के तहत सफाई सहित अन्य कार्यों को कर रहे इन कर्मियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभार से मुक्त करना

*552. श्री जितेंद्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावाँ)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राजस्व एवं भूमि सुधार में दूसरे विभाग के कर्मी प्रभारी अंचल अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि दूसरे विभागों के प्रतिनियुक्त कर्मियों पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिये उक्त कर्मी के मूल विभाग से अनुमति प्राप्त करना पड़ता है ;

(3) क्या यह बात सही है कि राजस्व सेवा संवर्ग के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित पर्याप्त राजस्व अधिकारी विभाग को उपलब्ध है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अन्य विभागों के प्रतिनियुक्त कर्मियों को अंचल अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पद के प्रभार से मुक्त करते हुये उपलब्ध राजस्व अधिकारी से यह कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

टैक्स वसूली करना

*553. श्री फते बहादुर सिंह (क्षेत्र संख्या-212 डिहरी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नगर विकास एवं आवास विभाग के उप-सचिव ने अपने पत्रांक 2550, दिनांक 17 अक्टूबर, 2013 के माध्यम से नये होल्डिंग टैक्स तत्काल वसूल नहीं करने एवं पुरानी दर से ही टैक्स की वसूली करने से संबंधित-पत्र जारी किया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पत्र की अवहेलना करते हुये डिहरी नगर निकाय द्वारा नये होल्डिंग टैक्स की वसूली लोगों से की जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 2550, दिनांक 17 अक्टूबर, 2013 के आलोक में तत्काल प्रभाव के पुराने होल्डिंग टैक्स की वसूली लोगों से करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्थापना करना

*554. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर नगर निगम का संपूर्ण क्षेत्र जगदीशपुर राजस्व अंचल के अंतर्गत है जो शहर से 18 किलो मीटर दूर है जिसके कारण शहरवासियों को भू-लगान आदि आवश्यक कार्यों के लिये 18 किलो मीटर की लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के लिये एक स्वतंत्र राजस्व अंचल की स्थापना करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

रास्ता उपलब्ध कराना

*555. श्री राम चन्द्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या-84 हायाघाट)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बरारी प्रखंड एवं कोढ़ा प्रखंड के सीमा पर बड़ी भैसदीरा, झिकटिया चैक के पास सड़क किनारे रघुनंदन सिंह के जमीन के पास खाता नं0 307, खेसरा नं0 1144, रकबा-10 डी0 राम ना0 सिंह के जमीन के मुहाने के रास्ते पर असामाजिक तत्व द्वारा घर बनाकर रहने के कारण उक्त जमीन पर जाने का रास्ता बंद है, यदि हाँ, तो सरकार असामाजिक तत्व द्वारा बनाये गये घर को हटाकर उक्त जमीन पर जाने के लिए रास्ता उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना बनाना

*556. श्री विजय शंकर दुबे (क्षेत्र संख्या-112 महाराजगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के महाराजगंज नगर पंचायत के महाराजगंज बाजार में नाला एवं सड़क निर्माण के अभाव में विगत् एक साल से अधिक समय से जनजीवन अस्त-व्यस्त है, यदि हाँ, तो सरकार नाला सहित सड़क निर्माण की सम्यक योजना तैयार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

फर्जी राशन कार्ड को हटाना

*557. श्री प्रहलाद यादव (क्षेत्र संख्या-167 सूर्यगढ़ा)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राशन कार्ड से संबंधित ऑनलाइन आवेदन लखीसराय जिला में 20 हजार से ज्यादा पेंडिंग है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जिला में पेंडिंग राशन कार्ड के ऑनलाइन आवेदन का निष्पादन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बीज उत्पादन करना

*558. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार द्वारा स्थापित बीज निगम लि0 द्वारा प्रमाणित बीज उत्पादन की राज्य के भीतर मात्र एक संस्थान अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार में प्रति वर्ष धान एवं गेहूँ के बीज की आवश्यकता 6 लाख क्विंटल है, जबकि इसके विपरीत मात्र 1.50 लाख क्विंटल बीज का उत्पादन किया जा रहा है जिसके कारण प्रमाणित बीज की उपलब्धता बिहार में कम होने से बाहर के खुले बाजार में अप्रमाणित बीजों का व्यापार हो रहा है जिस वजह से किसानों को कठिनाई होती है एवं इसका असर उत्पादन एवं पैदावार पर भी पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बीज निगम की क्षमता को मजबूत कर आवश्यकता के अनुरूप बीज उत्पादन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

राशि का भुगतान

*559. श्री सिद्धार्थ सौरव (क्षेत्र संख्या-191 बिक्रम)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिक्रम विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत नौबतपुर प्रखण्ड स्थित वित्तीय वर्ष 2017-18 में हरित क्रांति योजना के तहत अनुदानिक दर पर पौधा संरक्षण, जिंक, खर पतवारी नाशक, जिप्सम इत्यादि दवाई 400 कृषकों को एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में मूँग अनुदान में 99 कृषकों को उपलब्ध कराया गया था परंतु अनुदान राशि पटना कोषागार से स्वीकृत होने के पश्चात् उक्त वर्णित कृषकों को अनुदान की राशि का भुगतान अभी तक नहीं किये जाने का औचित्य क्या है ?

पदस्थापित करना

*560. श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र संख्या-207 चेनारी (अ0 जा0))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला अंतर्गत नव गठित नगर पंचायत चेनारी एवं रोहतास का अपना भवन नहीं होने उक्त नगर पंचायत में कर्मचारी एवं स्थाई पदाधिकारी पदस्थापित नहीं रहने के कारण विकास कार्य प्रभावित रहता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त दोनों नगर पंचायत का भवन निर्माण कराने एवं कर्मचारी/स्थाई पदाधिकारी पदस्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बासगीत पर्चा दिलाना

*561. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पालीगंज अनुमंडल कार्यालय में दिनांक 27 अप्रील, 2012 को और इसके बाद भी कई बार प्रखंड व अनुमंडल कार्यालय, पालीगंज, दुल्हिनबाजार और बिक्रम प्रखंड स्थित कई गाँवों में आम गैर-मजरूआ, चाट आदि सरकारी जमीन पर दशकों से बसे भूमिहीन परिवारों के द्वारा बासगीत जमीन का पर्चा निर्गत करने हेतु आवेदन दिए गए हैं, लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकारी जमीन पर बसे इन भूमिहीन परिवारों को बासगीत पर्चा कबतक निर्गत करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आदेश रद्द करना

*562. श्री बीरेन्द्र सिंह (क्षेत्र संख्या-234 वजीरगंज)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के मानपुर प्रखण्ड के नवरंगा मौजा स्थित खाता सं0 198 एवं प्लॉट सं0 1016 एवं 1017 के खाता सं0 1018 गैर-मजरूआ आम जमीन, जो सार्वजनिक है एवं आम जनता के उपयोग में आ रहा है, इसके संबंध में तत्कालीन जिला पदाधिकारी, गया के द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर, 2001 को सार्वजनिक घोषित किया गया है, किन्तु आयुक्त न्यायालय, मगध प्रमण्डल , गया के द्वारा जमाबंदी रद्द पुनरीक्षण वाद सं0 08/2021 में दिनांक 2 मार्च, 2022 को आदेश पारित किया गया है कि प्लॉट सं0 1016 एवं 1017 का सरकारी रसीद काटा जाए जबकि उक्त जमीन पर किसी का कोई कब्जा नहीं है एवं सार्वजनिक है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जमीन का आयुक्त मगध प्रमण्डल, गया के द्वारा पारित आदेश को कबतक रद्द करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*563. श्री राहुल तिवारी (क्षेत्र संख्या-198 शाहपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत बिहियाँ प्रखंड के ओसाई ग्राम पंचायत के बरुना गांव में खाता नं0 66, खेसरा नं0 450 सरकारी जमीन है एवं आम आदमी इसपर आने-जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि इधर गांव के दबंग व्यक्ति द्वारा आम रास्ता पर अतिक्रमण कर पूर्णरूप से बंद कर दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लोकहित में उक्त रास्ता को अतिक्रमण मुक्त कराकर ग्रामवासियों को रास्ता की सुविधा कबतक उपलब्ध कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*564. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत जमालपुर विधान सभा क्षेत्र में चापाकल की औसत गहराई 130 फीट निर्धारित है लेकिन जमालपुर नगरपालिका के वार्ड नं० 20 एवं 24 में 70 फीट पर ही चापाकलों को गाड़ दिया गया है एवं पर्याप्त भू-जलस्तर नहीं होने के कारण सभी चापाकल बंद हो गये हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक है । विभाग द्वारा नियमित चापाकल की गहराई प्राक्कलन के अनुसार 38 मीटर की होती है। लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुंगेर द्वारा वार्ड 20 एवं 24 में गाड़े गये चापाकलों की गहराई लगभग (38) मीटर 120 फीट है। 70 फीट पर विभाग द्वारा चापाकल नहीं गाड़ा जाता है।

जमालपुर नगर परिषद् क्षेत्र में विभाग द्वारा इस वर्ष 24 चापाकलों की मरम्मती करायी गयी है, जो की चालू स्थिति में है।

कोल्ड स्टोरेज बनाना

*565. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत 213 काराकाट विधान सभा क्षेत्राधीन एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं रहने के कारण किसानों द्वारा उत्पादित आलू, प्याज, दूध तथा अन्य वस्तुएँ रख-रखाव के अभाव में नष्ट हो जाते है या किसान औने-पौने दामों पर बेचने को मजबूर होते हैं, जिसके कारण उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के तीनों प्रखंडों (काराकाट, बिक्रमगंज एवं संझौली) में कबतक कोल्ड स्टोरेज बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क बनवाना

*566. श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव (क्षेत्र संख्या-216 जहानाबाद)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला के जहानाबाद नगर परिषद् क्षेत्र में वार्ड नं०4, वार्ड नं० 3 के उत्तरी दौलतपुर एवं दक्षिणी दौलतपुर में बड़ा कब्रिस्तान है जिसके रास्ते में सालों भर पानी लगा रहता है जिसके कारण मैय्यत ले जाने में आमलोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सड़क बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भुगतान करना

*567. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के बारसोई नगर पंचायत की जनता के लिये वर्ष 2019-20 में ही आवंटित 4,200 शौचालयों के लाभुकों में से महज 1,400 लाभुकों को ही अभीतक दूसरी किस्त का भुगतान हो सका है, यदि हाँ, तो क्या सरकार शेष बचे लाभुकों को अविलंब दूसरी किस्त देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक है । 1. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बारसोई द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नगर पंचायत, बारसोई अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) अंतर्गत लक्ष्य के अनुसार कुल 4,069 लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान किया गया है।

2. नगर पंचायत, बारसोई के द्वारा कुल 2,389 लाभुकों को द्वितीय किस्त का भुगतान किया जा चुका है। शेष बचे 1,680 लाभुकों में कुल 940 लाभुकों का आवेदन भुगतान हेतु SBMU पोर्टल पर माह अक्टूबर में ही File Generate कर भेज दी गयी है।

3. विभागीय पत्रांक 230, दिनांक 10 जून, 2022 के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना अंतर्गत शौचालय के भुगतान हेतु PFMS Portal पर SNA Mother Child Account में कुल 80.91 लाख रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। अत: भुगतान की कार्रवाई यथाशीघ्र की जायेगी ।

निर्माण कराना

*568. श्री रामप्रवेश राय (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गापोलगंज जिला के मांझा प्रखंड अन्तर्गत गौसियां प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय की स्थापना वर्ष 1988 में हुयी है, फिर भी आजतक उपर्युक्त चिकित्सालय का भवन नहीं बना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अंचलाधिकारी, मांझा द्वारा भवन निर्माण हेतु गौसियां उप-स्वास्थ्य केन्द्र के बगल में खाता संख्या 281, खेसरा 453, रकबा 10 कट्ठा भूमि का चयन कर पशु चिकित्सालय भवन निर्माण हेतु विभाग को भेजा गया है, परंतु विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार गौसियां में पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पम्पिंग प्लांट चालू करवाना

*569. श्रीमती वीणा सिंह (क्षेत्र संख्या-129 महनार)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत महनार नगर परिषद् में शहरी पाइप एवं जलापूर्ति योजना के तहत प्रखंड, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और पी०एच०ई०डी० परिसर में पम्पिंग प्लांट लगवाया गया था, जो बंद पड़ा हुआ है, जिसके कारण महनार बाजार के मदन चौक के आस-पास की एक बड़ी आबादी शुद्ध पेयजल के अनुपलब्धता की संकट से जूझ रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पम्पिंग प्लांट को पुनः चालू करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पक्का पुल बनवाना

*570. श्रीमती वीणा सिंह (क्षेत्र संख्या-129 महनार)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत महनार नगर परिषद् के वार्ड नं० 19 में फतेहपुर कमाली मोहल्ला में बायाँ नदी की एक नहर है जिसपर स्थानीय लोगों द्वारा निर्मित बाँस का पुल है, जहाँ बराबर छोटी-मोटी दुर्घटनाएं होती रहती है और आस-पास की एक बड़ी आबादी प्रभावित होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त बांस के पुल की जगह एक पक्का पुल बनवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सड़क बनवाना

*571. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत मनिहारी नगर पंचायत में अम्बेदकर चौक से मनिहारी घाट तक सड़क जर्जर है तथा अम्बेदकर चौक से रेलवे ढाला के बीच सड़क में जल-जमाव बना रहता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार जर्जर सड़क का जीर्णोद्धार एवं जल-जमाव से मुक्ति दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*572. श्री संतोष कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-209 करगहर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के कोचस नगर पंचायत के वार्ड नं० 14 गली संख्या 1बी तथा वार्ड 15 एवं वार्ड 16 की विभिन्न गलियों से जुड़े मुख्य नाला के अतिक्रमण के चलते वर्णित वार्डों की गलियों में दुर्गंध भरे गंदे पानी के जल-जमाव की स्थिति बनी हुयी है, जिससे कि विभिन्न बिमारियों के फैलने की आशंका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वार्ड नं० 14, 15 एवं 16 के निवासियों द्वारा दिनांक 7 मई, 2022 एवं दिनांक 20 मई, 2022 को न०प० कार्यपालक पदाधिकारी को लिखित ज्ञापन देने के बावजूद भी आजतक कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जा सकी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वार्डों से जुड़े मुख्य नाला को अतिक्रमण मुक्त कराने तथा नाला का मरम्मतीकरण एवं सफाई कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 30 जून, 2022 (ई०)।

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि०स०मु० - 23 (एल०ए०), 2022-23 डी०टी०पी० -550